

College Code—2111

राजकीय महाविद्यालय, कुरसण्डा सादाबाद (हाथरस)

(राजा महेन्द्रप्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से सम्बद्ध)



“शुभेन्दु शोभावरधारयन्ती,
करे तु वीणाम्बुजमुदबहन्ती ।
अधीतिबोधक्षम चारूदात्री,
सरस्वती सावतु सर्वलोकम् ॥

आवश्यक सूचना

आगे दिये गये प्रवेश आवेदन पत्र को पूर्ण रूप से भरकर तथा प्रवेश विवरणिका से अलग कर महाविद्यालय में जमा करें।
प्रवेश के समय निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है—

1. आधार कार्ड एवं वैब रजिस्ट्रेशन संख्या।
2. फार्म 6 (यदि वोटर आइडी न बनी हो)।
3. एन्टी रैगिंग ऑथ सर्टिफिकेट।
4. महाविद्यालय में शराब/धूम्रपान/तम्बाकू का सेवन करना एक अपराध है।
उद्वलंघन करने पर 200 रुपये तक जुर्माना किया जायेगा।
अपूर्ण फार्म स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(WEB REGISTRATION)

महाविद्यालय में प्रवेश से पहले राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ में
वैब रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।

link http://erp.rmpssu.org/ENTRANCE_RMPSUUGPG_First_Login_bdkbkdsbfkjdsb_2223.aspx

राजकीय महाविद्यालय कुरुसण्डा (हाथरस)

(अध्ययन केन्द्र)

उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज कोड संख्या S—1468

बी.ए./बी.एस-सी/बी.कॉम एवं प्रमाण-पत्र तथा डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित

प्रवेश प्रक्रिया शुरू

www.uprtou.ac.in

विषय

B.A. (Hindi, English, History, Economics, Political Science, B.A. (Tourism), B.Sc. (Bio. and Maths Group), B.Com., BBA, CCSS (B.A), CCSS (B.Sc.), DYS, DDT, DVAPFV, DAG, DABM, DRD, DVM, DECE, DCDN, DHEN, DHA, DFD, DTD, DIP, DJD, DPC, DASC, CES, CAC, CWED, CCY, CGST, CPHT & VA, CCMAP, CLPS, CPIG, COF, CNF, CCCN, CRJMC, CHR, CWWT, CNSD, CASC, CCTT, CFD, CTD, CVM, CFS, CPLT, CPT, APCNF, APCCN, APY, APPR, APDF.

राजकीय महाविद्यालय कुरसण्डा, सादाबाद, (हाथरस)

संक्षिप्त परिचय

हाथरस जिले की तहसील सादाबाद के अन्तर्गत कुरसण्डा सर्वप्रमुख ग्राम है। इस तहसील में कोई शासकीय एवं अशासकीय अनुदानित महाविद्यालय न होने के कारण स्थानीय छात्र-छात्रायें हाथरस, अलीगढ़ व आगरा आदि नगरों में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिये जाया करते थे। यहाँ की जनता की एक लम्बे समय से माँग थी कि इस पिछड़े क्षेत्र में एक आदर्श राजकीय महाविद्यालय खोला जाये। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का अथक प्रयास रंग लाया और उ. प्र. सरकार ने यहाँ आदर्श राजकीय महाविद्यालय खोलने का आदेश जारी कर दिया। इस महाविद्यालय में वाणिज्य संकाय, कला संकाय एवं विज्ञान संकाय के विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है।

शासनादेशानुसार प्राचार्य के अतिरिक्त प्रत्येक विषय के एक-एक प्रवक्ता, पुस्तकालयाध्यक्ष, वरिष्ठ लिपिक एवं कनिष्ठ लिपिक तथा पाँच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों का सृजन शासन द्वारा किया गया। महाविद्यालय का प्रथम सत्र जुलाई 2016 में प्रारम्भ हुआ।

विविध विषयों में निष्ठावान विज्ञानों से समृद्ध यह महाविद्यालय अल्प समय में ही अपनी प्रतिष्ठा के साथ उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नकलविहीन परीक्षा सम्पन्न करा कर हाथरस जिले में नवीन प्रतिमान स्थापित कर रहा है। नियमित कक्षाओं के संचालन के साथ पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का भी पूर्णतः संचालन होता है जिससे विद्यार्थियों का बहुमुखी विकास हो सके। सांस्कृतिक परिषद के मार्गदर्शन में छात्र-छात्रायें भाषण, निबन्ध, कविता लेखन एवं वाद-विवाद आदि के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। महाविद्यालय में छात्रों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अनुशासन परिषद विद्यार्थियों को अनुशासित कर आत्मानुशासन के लिए प्रेरित करती है। इन विशेषताओं के कारण ही महाविद्यालय ने शिक्षा जगत में यश अर्जित करके महत्वपूर्ण स्थान बनाया है।

महाविद्यालय का परिदृश्य

महाविद्यालय का मूल परिदृश्य गुरु-शिष्य सम्बन्ध के पुनर्जागरण, शिष्यों के व्यक्तित्व के सम्पूर्ण विकास, शिक्षा की गुणात्मकता के साथ-साथ उसमें मूल्यपरकता में बढ़ोत्तरी, सामाजिक दायित्व की अनुभूति वाले श्रेष्ठ युवा नागरिकों का निर्माण और उन्हें उन गुणों से सम्पन्न करना है जो उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए सक्षम बना सकें। वे राष्ट्र और समाज के लिए उपयोगी व उत्तरदायी नागरिक बनें और शोषणमुक्त समतामूलक समाज की स्थापना में सहभागी बनें। शिक्षा के साथ महाविद्यालय शैक्षिक गुणवत्ता उन्नयन, मूल्य संवर्धन व पोषण तथा शिक्षणेत्तर गतिविधियों की सक्रियता द्वारा व्यक्तित्व निर्माण की दिशा में आगे बढ़ेगा।

महाविद्यालय का उद्देश्य

महाविद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा का मूल उद्देश्य छात्र/छात्राओं में अंतर्निहित सर्वश्रेष्ठ तत्व को प्रकट कर उसको सकारात्मक ऊर्जा से सम्पन्न करना, गुणात्मक परिशोधन के साथ-साथ मूल्यपरक तत्वों का विकास करना है। महाविद्यालय शिक्षक-शिक्षार्थी के आत्मविश्वास को जागृत कर उसे सर्वप्रथम आत्मनिर्भर और फिर समाज व राष्ट्र के लिए एक श्रेष्ठतम नागरिक के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है।

ध्यातव्य

शिक्षणेत्तर गतिविधियों/पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं/प्रयोगशाला में अचानक होने वाली दुर्घटनाओं में हुई किसी भी शारीरिक, आर्थिक क्षति के लिए महाविद्यालय प्रशासन उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी दशा में महाविद्यालय में उपलब्ध प्राथमिक चिकित्सा ही उपलब्ध कराई जा सकेगी।

E-Learning, E-Park and Wifi-Campus : महाविद्यालय में गतवर्ष सरकार द्वारा इस कैम्पस में E-Learning एवं E-Park सुविधा विकसित की गई है, जिसके अन्तर्गत 5 Desktop Computer एवं 9 Tablet E-(Course Material) सभी विषयों सहित छात्र/छात्राओं के लिए उपलब्ध हैं। साथ ही दो स्मार्ट क्लास रूम भी शिक्षण हेतु नवीनतम तकनीक से युक्त हैं।

महाविद्यालय की हर मंजिल पर स्वच्छ पेयजल के लिए आर ओ प्लांट एवं वाटर कूलर की सुविधा, छात्र-छात्राओं के लिए अलग-अलग स्वच्छ शौचालय व्यवस्था उपलब्ध है।

चेतावनी

1. प्रवेश के उपरान्त विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा। प्रवेश के समय प्रवेशार्थी को वे ही विषय स्वीकृत किये जायेंगे जिनमें स्थान रिक्त हो और योग्यता क्रम को ध्यान में रखा जायेगा।

2. असत्य सूचनायें देने वाले प्रवेशार्थी के आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा और किसी भी समय प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
3. सभी छात्र/छात्रायें अपनी साईकिल या अन्य वाहन मुख्य द्वार के पास बाउन्ड्री वाल के नजदीक निर्धारित स्थान पर ही खड़ा करेंगे अन्यथा उनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. सभी अभिभावकों से भी अनुरोध है कि अपने वाहन नियत स्थान पर ही रखें और महाविद्यालय प्रशासन की व्यवस्था बनाये रखने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

प्रवेश सम्बन्धी निर्देश

प्रवेश आवेदन-पत्र भरने से पूर्व प्रवेशार्थी को प्रवेश सम्बन्धी नियम एवम् समस्त निर्देशों को अवश्य पढ़ लेना चाहिए।

1. बी. ए./बी. एस. सी./बी. कॉम. प्रथम वर्ष वैकल्पिक विषय मेरिट तथा रिक्तता के आधार पर दिये जायेंगे।
2. बी. ए./बी. एस. सी./बी. कॉम. द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रथम वर्ष में पढ़े गये विषय ही लेने होंगे।
3. बी. ए./बी. एस. सी./बी. कॉम. तृतीय वर्ष में मात्र दो विषयों का चयन करना होगा।
4. यदि कोई विद्यार्थी बी. ए./बी. एस. सी./बी. कॉम. प्रथम वर्ष में अनिवार्य विषय पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण हो जाता है या परीक्षा नहीं देता है तो उसे बी. ए./बी. एस. सी./बी. कॉम. द्वितीय/तृतीय वर्ष में इस विषय की पुनर्परीक्षा/परीक्षा देनी होगी। उत्तीर्ण होने पर विश्वविद्यालय द्वारा डिग्री प्रदान की जायेगी।
5. प्राचार्य को किसी भी प्रवेशार्थी के आवेदन-पत्र को बिना कारण बताये निरस्त करने/रोकने का पूर्ण अधिकार है।
6. अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
7. ऐसे प्रवेशार्थी जिनका आचरण सन्तोषजनक/संदिग्ध रहा है, उन्हें महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
8. अनुशासनहीनता तथा अनुचित साधन का प्रयोग करते पाये गये विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
9. प्रवेश के समय अनुशासनहीनता करते हुए पाये जाने पर प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
10. उ. प्र. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत नियम प्रवेशार्थियों को मान्य होंगे।
11. परीक्षाफल घोषित होने पर अंक पत्र निर्गत होने के दिनांक से 15 दिन के अन्दर अगली उच्च कक्षा में प्रवेश लेना आवश्यक होगा।
12. जिन अभ्यर्थियों का परीक्षाफल रोका गया हो अथवा किन्हीं कारणों से घोषित नहीं हुआ हो या अपूर्ण हो, को परीक्षाफल घोषित होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर (प्रोविजनल) प्रवेश देय होगा।
13. जो अभ्यर्थी पुनः परीक्षा के लिए आवेदन करेगा, उसे अगली उच्च कक्षा में विश्वविद्यालय की हस्तपुस्तिका के अध्याय 25 के अध्यादेश 3-1 के प्रावधानों के अन्तर्गत अन्तिम प्रवेश दिया जायेगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अभ्यर्थी का आचरण सन्तोषजनक रहा हो।
14. प्रदेश में शासनादेशों के अन्तर्गत विभिन्न वर्गों के लिए नियमानुसार आरक्षण की व्यवस्था है। इसके लिए प्रवेशार्थी की सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। प्रमाण-पत्र संलग्न न होने पर आरक्षण का लाभ दिया जाना सम्भव नहीं होगा।
15. यदि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की कोई अन्य परीक्षा दे रहा हो तो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
16. यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद चलाया जा चुका है अथवा विचाराधीन हो अथवा वह किसी नैतिक अपराध में दण्डित हो अथवा शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत हो, को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
17. प्रवेश के सम्बन्ध में किसी प्रकार की सिफारिश अथवा राजनैतिक दबाव प्रवेशार्थी की अयोग्यता मानी जायेगी।
18. रैगिंग सुप्रीम कोर्ट, यू जी सी तथा उ. प्र. शासन के आदेशों के अनुसार प्रतिबन्धित हैं। यदि कोई छात्र/छात्रा रैगिंग करने में संलिप्त पाया जाता/जाती है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और उसके विरुद्ध वाद दायर कर दिया जायेगा।

आवेदन-पत्र भरने हेतु निर्देश

1. महाविद्यालय में प्रवेश के लिए निर्धारित प्रपत्र पर ही आवेदन करना होगा। डाक द्वारा आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं होगा।
2. आवेदन-पत्र के साथ निम्न प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन-पत्र पर विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा।
 - (i) हाईस्कूल अंक-पत्र एवं प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रति।
 - (ii) इण्टर अंक-पत्र की सत्यापित छाया प्रति।
 - (iii) अन्तिम शिक्षण संस्था द्वारा निर्गत टी सी एवं चरित्र प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)।

- (iv) यदि अर्ह परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो तो किसी राजपत्रित अधिकारी, संसद सदस्य/विधानसभा या विधान-परिषद के सदस्य द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र (मूल रूप में) संलग्न करना होगा।
- (v) आधार कार्ड की छायाप्रति।
- (अ) सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. दिल्ली द्वारा इण्टर परीक्षा उत्तीर्ण करने अथवा किसी अन्य बोर्ड/विश्वविद्यालय से अर्ह परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को माइग्रेशन सर्टिफिकेट (मूल रूप में) जमा करना होगा।
- (ब) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी/राज्यस्तरीय खेल प्रतियोगिता/भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी/विश्वविद्यालय एवम् सम्बद्ध महाविद्यालय में सेवारत प्राध्यापक/कर्मचारी/एन.एस.एस./एन.सी.सी. प्रमाण-पत्र आदि के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, अन्यथा इनका लाभ दिया जाना सम्भव नहीं होगा।
3. यदि गैप वर्ष हो तो नोटरी द्वारा शपथ-पत्र की मूल प्रति तथा सक्षम अधिकारी का गैप वर्षों का चरित्र प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
4. स्नातक द्वितीय/तृतीय वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्रवेशार्थियों को आवेदन-पत्र के साथ गत वर्ष की परीक्षा की मार्कशीट की सत्यापित छाया प्रति लगानी होगी।
5. आवेदन-पत्र वांछित संलग्नकों सहित निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि के बाद कोई आवेदन-पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
6. आवेदन-पत्र के साथ पुस्तकालय पंजीकरण फार्म, शास्ता मण्डल का फार्म तथा प्रवेशार्थी प्रति भरकर जमा करना अनिवार्य है।
7. अपूर्ण आवेदन-पत्रों पर विचार करना सम्भव नहीं होगा।

पाठ्य विषय

1. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्षेत्र** : यह व्यवस्था तीन विषय वाले पाठ्यक्रम जैसे बी.ए., बी.एससी. (जीवविज्ञान वर्ग, गणित वर्ग) एवं वाणिज्य वर्ग के सत्र 2021-2022 से प्रवेशित छात्रों पर लागू है। जिसके अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को चार वर्ष कर दिया गया है। स्नातक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई तीन से चार वर्ष होगी। अब स्नातक में निम्नवत् अभिलेख प्राप्त होंगे—
- एक वर्ष पूरा करने पर — प्रमाण पत्र
 - दो वर्ष पूरा करने पर — डिप्लोमा
 - तीन वर्ष पूरा करने पर — डिग्री
 - चार वर्ष पूरा करने पर — शोध के साथ डिग्री
2. **पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)** : छात्र एवं छात्राओं द्वारा चुने गए अपने संकाय जैसे बी.ए. (कला संकाय), बी.एससी. (जीवविज्ञान वर्ग, गणित वर्ग) (विज्ञान संकाय) एवं वाणिज्य वर्ग (वाणिज्य संकाय) तीन वर्ष की स्नातक डिग्री जिसमें छः सेमेस्टर होंगे। प्रत्येक वर्ष दो सेमेस्टर की परीक्षा होनी है।
3. **संकाय का चुनाव छात्र एवं छात्राओं द्वारा कैसे करना है :**
- (i) छात्र एवं छात्राओं को सबसे पहले अपने इंटरमीडियट के विषय में से दो समान वर्ग के विषय का चुनाव करना है। जैसे कला वर्ग वाले (हिंदी, अंग्रेजी, इतिहास, अर्थशास्त्र, गृहविज्ञान, मनोविज्ञान एवं राजनीतिशास्त्र विज्ञान वर्ग वाले (जन्तुविज्ञान, वनस्पतिविज्ञान, रसायनविज्ञान, गणित एवं भौतिकी विज्ञान) एवं वाणिज्य संकाय में से किन्हीं दो विषय का चुनाव मेजर विषय (Major Subject) के रूप में करना अनिवार्य है जिससे छात्र एवं छात्राओं को बी.ए., बी.एससी. एवं बी.कॉम की डिग्री मिलेगी।
- (ii) इसके अतिरिक्त छात्र/छात्रा एक और मुख्य विषय का चुनाव करेगा जो अपने संकाय से या दूसरे किसी संकाय से कर सकता है अर्थात् दो विषय अपने संकाय से एवं एक विषय किसी भी संकाय से छात्र/छात्रा चुन सकते हैं चाहे वो कला संकाय, विज्ञान संकाय या वाणिज्य संकाय से; अर्थात् कुल मेजर विषय तीन होंगे।
- (नोट : विषय का चुनाव महाविद्यालय में विषय की उपलब्धता के आधार पर करना होगा।)
4. तीन मुख्य विषयों के अतिरिक्त छात्र/छात्रा को एक **माइनर इलेक्टिव पेपर (केवल सम में या केवल विषम में) चौथे विषय के रूप में लेना अनिवार्य है जिसका चुनाव छात्र/छात्रा को अन्य संकाय के विषयों में से ही करना होगा। जिसके लिए उसे इंटरमीडियट के विषयों से कोई सम्बन्ध होना अनिवार्य नहीं है अर्थात् किसी पूर्व पात्रता (Pre-Requisite) की आवश्यकता नहीं है।**

महाविद्यालय में उपलब्ध संकाय

- 1. Faculty of Language भाषा संकाय**
 1. English,
 2. Hindi
- 2. Faculty of Arts, Humanities and Social Science कला, मानविकी एवं सामाजिक विषय संकाय**
 1. Economics, 2. History, 3. Home Science, 4. Political Science, 5. Psychology.
- 3. Faculty of Science विज्ञान संकाय**
 1. Botany, 2. Chemistry, 3. Mathematics, 4. Physics, 5. Zoology.
- 4. Faculty of Commerce**

अनिवार्य सह पाठ्यक्रम (Co-curricular)

- स्नातक स्तर के प्रत्येक छात्र/छात्रा को तीन वर्षों (छः सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह-पाठ्यक्रमों (Co-curricular) करना होगा जिसका विवरण इस प्रकार है:

प्रथम सेमेस्टर में : Food nutrition and Hygiene

द्वितीय सेमेस्टर में : First Aid and Health

तृतीय सेमेस्टर में : Human Values and Environmental studies.

चतुर्थ सेमेस्टर में : Physical Education and Yoga Education.

पंचम सेमेस्टर में : Analytic Ability and Digital Awareness/Computer Application/Business communication.

षष्ठम सेमेस्टर में : Communication skills and Personality Development.

- स्नातक स्तर के अनिवार्य सह-पाठ्यक्रमों (Co-curricular) के अध्ययन के लिए शैक्षिक संसाधनों की व्यवस्था महाविद्यालय द्वारा की जाएगी। इन इन विषयों सह-पाठ्यक्रमों (Co-curricular) में कम से कम 40% अंकों को उत्तीर्ण करना होगा जो ग्रेड के रूप में अंक पत्र में अंकित किया जाएगा परंतु उन्हें CGPA की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

रोजगारपरक/कौशल विकास के पाठ्यक्रम के लिए पेपर का चुनाव

प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्ष (चार सेमेस्टर के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट $3 \times 4 = 12$ क्रेडिट के कुल चार पाठ्यक्रम) का एक रोजगारपरक/कौशल विकास पाठ्यक्रम (Vocational/Skill Development courses) पूर्ण करना होगा।

अनुशासन सम्बन्धी निर्देश

1. महाविद्यालय का शास्ता मण्डल है जिसके नियमों का पालन प्रत्येक विद्यार्थी को करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी, जिसमें अर्थदण्ड तथा महाविद्यालय से निष्कासन भी हो सकता है।
2. प्रत्येक सत्र के समय परिचय-पत्र बनवाना अनिवार्य है।
3. प्रत्येक विद्यार्थी को परिचय-पत्र महाविद्यालय परिसर में सदैव साथ रखना अनिवार्य है। आकस्मिक निरीक्षण के समय परिचय-पत्र न होने पर विद्यार्थी का महाविद्यालय में प्रवेश अवैध माना जायेगा और उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ शास्ता मण्डल का फार्म भी संलग्न है जिसे पर प्रवेशार्थी एवम् उसके पिता/माता/अभिभावक हस्ताक्षर कर आवेदन-पत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है।
5. प्रत्येक विषय में छात्र/छात्रा की 75% उपस्थिति अनिवार्य है।
6. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन, पेजर, अस्त्र-शस्त्र लाना वर्जित है। पकड़े जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
7. महाविद्यालय परिसर में पान मसाला, गुटखा, धूम्रपान एवम् मादक पदार्थ का सेवन वर्जित है। पकड़े जाने पर दण्डात्मक कार्यवाही होगी।

रैगिंग से सम्बन्धित निर्देश

उ. प्र. शासन ने शासनादेश सं 2336/सोलह 1-2008-250/96 टी. सी. दिनांक 27-07-2010 के द्वारा रैगिंग को शिक्षण संस्थाओं में गैर कानूनी एवम् संज्ञेय अपराध घोषित किया है। इसके अन्तर्गत निम्न नियम है—

1. छात्र/छात्राओं से मारपीट, गाली-गलौज करना।

2. अभद्र एवम् अश्लील आचरण तथा अपशब्दों का प्रयोग करना।
3. शारीरिक एवम् मानसिक रूप से प्रताड़ित एवम् उत्पीड़न करना।
4. किसी भी छात्र/छात्रा से बलात् मर्यादा के प्रतिकूल आचरण करना।
5. किसी भी प्रकार के प्राकृतिक एवम् अप्राकृतिक कृत्य जो किसी भी छात्र/छात्रा को मानसिक एवम् शारीरिक रूप से क्षति देने वाले हो, सामाजिक प्रतिष्ठा को क्षति पहुँचाने वाले हों।

सभी छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि उक्त कृत्य एवम् आचरण न तो स्वयं करें और न ही किसी दूसरे छात्र/छात्रा को करने के लिए प्रेरित करें। ऐसा करने पर रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम 2010 (प्रख्यापित) के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।

महाविद्यालय गणवेश (COLLEGE UNIFORM)

छात्रों/छात्राओं को सादगी व शालीनतापूर्वक रहने के उद्देश्य से महाविद्यालय में निर्धारित यूनीफार्म निम्नांकित है-

छात्र- ग्रीष्मकालीन-पेन्ट नेवी ब्लू, शर्ट सफेद, शीतकालीन- नेवी ब्लू ब्लेजर या स्वेटर, काले जूते।

छात्रायें- ग्रीष्मकालीन-सलवार नेवी ब्लू, कुर्ती सफेद, (नेवी ब्लू कोटि या दुपट्टा) शीतकालीन- नेवी ब्लू स्वेटर, काले जूते।

छात्रवृत्तियाँ एवं विद्यार्थी कल्याण

महाविद्यालय में निर्धन, मेधावी एवं प्रतिभाशाली छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा आय के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग/सामान्य वर्ग के निर्धन (बी.पी.एल.) एवम् योग्य छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। महाविद्यालय के निर्धन छात्र कोष से भी निर्धन छात्रों को सहायता की व्यवस्था है। शुल्क प्रतिपूर्ति भी नियमानुसार प्रदान की जाती है।

छात्रवृत्ति के नियम

1. छात्र/छात्रा महाविद्यालय का नियमित छात्र होना चाहिए।
2. छात्रवृत्ति प्रवेश तिथि के अनुसार देय होगी। यदि प्रवेश तिथि माह की 20 तारीख से पूर्व की है तो उक्त माह की छात्रवृत्ति देय होगी, अन्यथा नहीं।
3. जाति प्रमाण पत्र छात्र/छात्रा का होना चाहिए एवं आय प्रमाण पत्र पिता/अभिभावक का होना चाहिए।
4. छात्रवृत्ति फार्म शासन के निर्देशानुसार पूर्ण रूप से भरकर सभी प्रमाण पत्रों के साथ प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अवश्य जमा करें तथा उसके साथ जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाणपत्र, प्रवेश शुल्क रसीद, आय प्रमाण पत्र (मूल प्रति), उत्तीर्ण की गयी कक्षा की अंकतालिका, बैंक पासबुक की छायाप्रति प्रवेश आवेदन पत्र के साथ ही जमा करनी होगी।
5. कक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्रा को पुनः परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही छात्रवृत्ति देय होगी।
6. छात्रवृत्ति का भुगतान शासन द्वारा अभ्यर्थी के बैंक खाते में किया जायेगा। अभ्यर्थी को जनपद में किसी भी बैंक की राष्ट्रीयकृत शाखा में अपना खाता खुलवाकर उसका विवरण महाविद्यालय में देना आवश्यक होगा।
7. प्रवेशार्थी को सुझाव दिया जाता है कि वे प्रवेश आवेदन पत्र भरने से पूर्व किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपने व्यक्तिगत नाम से खाता खुलवा लें ताकि छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में इसका उल्लेख किया जा सके तथा बैंक पास बुक की छाया प्रति संलग्न की जा सके। छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए सिर्फ ऐसे छात्र/छात्राएँ ही अर्ह होंगे जिनके अभिभावक की वार्षिक आय रुपये अधिकतम 2,50,000 (दो लाख पचास हजार रुपये) होगी।
8. छात्र/छात्रायें अपने आधार कार्ड की छाया प्रति आवश्यक रूप से संलग्न करें तथा आधार कार्ड को मोबाइल नं. से लिंक करा लें।

पाठ्यक्रम सहभागी/सह-शैक्षणिक गतिविधियाँ

राष्ट्रीय सेवा योजना

महाविद्यालय में 100 स्वयं सेवक/स्वयं सेविकाओं की एक इकाई एक कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशन में कार्यरत है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक स्वयं सेवक / सेविका के लिये 120 घण्टे का सेवा कार्य करना अनिवार्य है इसके अतिरिक्त सप्त दिवसीय विशेष शिविर व एक दिवसीय शिविरों का भी आयोजन किया जाता है।

रोवर्स-रेंजर्स

राष्ट्रीय सेवा के लिए सदैव तत्पर रहने की भावना एवं स्वावलम्बन की भावना का समुचित विकास करने के लिए महाविद्यालय में रोवर्स एवं रेंजर्स इकाई का गठन किया जाता है।

क्रीड़ा परिषद्

स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है इसलिये छात्र/छात्राओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिये क्रीड़ा परिषद् की देखरेख में इन्डोर एवं आउटडोर खेलों की समुचित व्यवस्थाएँ विद्यमान हैं।

रेमेडियल पाठ्यक्रम (निर्बल वर्ग सहायता)

इसके अन्तर्गत निर्बल वर्ग एवं कम प्रतिभा वाली छात्र/छात्राओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है।

कैरियर काउंसलिंग एवं रोजगार प्रकोष्ठ

प्रतिस्पर्धा के इस युग में कैरियर के प्रति जागरूक रहने के लिए यह प्रकोष्ठ छात्र/छात्राओं को रोजगार सम्बन्धी नवीनतम सूचनाएँ देता है।

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषद्

छात्र/छात्राओं की रचनात्मक प्रतिभा में विकास हेतु साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषद् प्रत्येक वर्ष “युवा सप्ताह” का आयोजन करती है।

प्रसार व्याख्यान वाला समिति

विभिन्न महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक समकालीन विषयों पर विचार-विमर्श एवं गहन विश्लेषण करने के उद्देश्य से उक्त समिति द्वारा प्रसार व्याख्यान माला का आयोजन कराया जाता है।

महिला सहायता प्रकोष्ठ एवं शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

शासन के निर्देशानुसार स्थापित उक्त प्रकोष्ठ के माध्यम से महिलाओं (विशेषकर छात्राओं) की समस्याओं का समाधान किया जाता है।

वार्षिक समारोह

छात्र/छात्राओं की वर्ष पर्यन्त संचालित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की उत्कृष्ट प्रस्तुति प्रतिवर्ष सत्रान्त में आयोजित वार्षिक समारोह के रूप में आयोजित की जाती है एवं विजेताओं को पुरस्कृत किया जाता है।

विभागीय परिषद्

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं के बौद्धिक एवं शैक्षिक विकास हेतु सभी विषयों में परिषदों का गठन किया जाता है जो विभाग प्रभारी के निर्देशन में वाद-विवाद, भाषण, निबन्ध, पोस्टर, क्विज आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है।

महाविद्यालय पत्रिका

छात्र/छात्राओं की सृजनात्मक लेखनशीलता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महाविद्यालय पत्रिका प्रज्ञांसी प्रकाशित होती है।

सूचना का अधिकार समिति

इसके अन्तर्गत जन-सूचना अधिकारी द्वारा महाविद्यालय से सम्बन्धित सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रदान की जाती है।

पुरातन छात्र-परिषद्

उक्त परिषद् महाविद्यालय के पुरातन छात्र/छात्राओं से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखती है तथा महाविद्यालय विकास में उनकी सहभागिता की अपेक्षा करती है।

छात्र अभिभावक संघ

उक्त संघ के माध्यम से अभिभावकों को अपने पाल्य एवं महाविद्यालय गतिविधियों की जानकारी प्रदान की जाती है।

मानव संसाधन प्रबन्ध समिति

छात्र/छात्राओं में बहुमुखी प्रतिभा विकसित करने के उद्देश्य से मानव संसाधन प्रबन्ध समिति द्वारा विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।

एण्टी रैगिंग समिति

महाविद्यालय परिसर में रैगिंग पर पूर्णतया नियन्त्रण एवं प्रभावी कार्यवाही हेतु समिति सक्रिय है।

आई.क्यू.ए.सी. (Internal Quality Assurance Cell)

महाविद्यालय में गुणवत्ता सुधार प्रक्रिया को सतत रूप से चलाये रखने के उद्देश्य से आन्तरिक गुणवत्ता निर्धारक प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

छात्र कल्याण परिषद्

उक्त परिषद् द्वारा निर्धन छात्र/छात्राओं को आर्थिक सहायता एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं को कार्यरूप में परिणित किया जाता है।

राजकीय महाविद्यालय, कुरसण्डा, सादाबाद (हाथरस)

पुस्तकालय पंजीकरण प्रपत्र

कक्षा..... सेमेस्टर

पंजीयन संख्या

सत्र 20..... – 20.....

- छात्र/छात्रा का नाम कु./श्रीमती/श्री
- पिता का नाम श्री
- माता का नाम श्रीमती
- अभिभावक का नाम श्री
- स्थायी पता गा./मौ.
पत्रालयजिला मोबाइल/फोन नं.
- पत्र-व्यवहार का पता ग्राम/मौ.
पत्रालयजिला मोबाइल/फोन नं.
- विषय :- मेजर (1) (2) (3)व्यावसायिक पाठ्यक्रम
को करिकुलर पाठ्यक्रम (4) (5) (6)

शास्ता मण्डल

- छात्र/छात्रा का नाम कु./श्रीमती/श्री
- अभिभावक का नाम श्री
- माता का नाम श्रीमती
- जन्मतिथि मोबाइल/फोन नं.
- ब्लड ग्रुप (Blood Group)
- पता स्थायी गा./मौ. पोस्ट ऑफिस
- थानाजिला
- स्थानीय पता
- विषय मेजर (1) (2) (3)
- व्यावसायिक पाठ्यक्रम को करिकुलर पाठ्यक्रम (4) (5) (6)

- क्या आपके विरुद्ध इस विद्यालय अथवा गत संस्था द्वारा अनुशासन सम्बन्धी कोई कार्यवाही की गयी है? हाँ/नहीं
- क्या आपके विरुद्ध कोई वाद न्यायालय में चल रहा है? हाँ/नहीं
- क्या प्रार्थी/प्रार्थिनी कभी परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग में पकड़/पकड़ी गयी अथवा अनुचित साधन प्रयोग के मामले में परीक्षाफल रोका गया है? हाँ/नहीं

एण्टी रैगिंग सम्बन्धी शपथ-पत्र

मैंने तथा मेरे अभिभावक ने रैगिंग से सम्बन्धित निर्देश पढ़ लिए हैं। मेरा अभिभावक सभी नियमों का पालन करेगा। यदि मेरा अभिभावक में संलिप्त पाया जाता है। तब मैं वचन देता हूँ कि महाविद्यालय प्रशासन उसके विरुद्ध शासनादेश के अनुसार कार्यवाही करें।

प्रवेशार्थी का नाम व हस्ताक्षर

पिता/माता/अभिभावक के हस्ताक्षर

कक्षा..... वर्ष

पूरा पता

संयोजक

एण्टी रैगिंग समिति के

हस्ताक्षर व मुहर

.....

मोबाइल/फोन नं.

E-mail Id

1. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मैं पुस्तकालय से नियमानुसार निर्गत की गयी पुस्तकों को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचाये बिना समय से वापस कर दूँगा/दूँगी ।
2. यदि मुझसे कोई पुस्तक खो जाती है अथवा फट जाती है तो उसको जमा किये जाने से समय महाविद्यालय द्वारा नियमानुसार निधिरित धनराशि जमा करूँगा/करूँगी ।
3. यदि अनेक खण्डों की पुस्तक मुझसे खो जाती है अथवा नष्ट हो जाती है तो उसके किसी एक खण्ड के खो जाने/नष्ट हो जाने पर उसके समस्त खण्डों को उसको जमा किये जाने के समय का पूर्ण मूल्य नगद धनराशि के रूप में महाविद्यालय में जमा करूँगा/करूँगी ।
4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि पुस्तक विलम्ब से जमा कराये जाने की स्थिति में देय विलम्ब दण्ड शुल्क पुस्तकालय में जमा करूँगा/करूँगी ।

पिता/माता/अभिभावक के हस्ताक्षर

छात्र/छात्रा के हस्ताक्षर

दिनांक

दिनांक

मोबाइल/फोन नं.

मोबाइल/फोन नं.

प्रवेशार्थी के द्वारा शपथ-पत्र

मैं शपथपूर्वक घोषणा करता/करती हूँ मेरे द्वारा दिये गये सभी प्रश्नों के उत्तर सत्य हैं तथा कोई भी छिपाया नहीं गया है। यदि मेरे उपर्युक्त कथन में कोई त्रुटि पायी जाये तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाये। उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा। मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं किसी प्रकार की दलगत राजनीति आन्दोलन हिंसात्मक कार्य तथा रैगिंग में भाग नहीं लूँगा/लूँगी।

दिनांक

प्रवेशार्थी के हस्ताक्षर

प्रवेशार्थी के पिता/माता/अभिभावक का शपथ-पत्र

मैं अपने अभिभाव्य के सद्व्यवहार के प्रति पूर्णतः उत्तरदायी हूँ। ऊपर वर्णित सभी बातें सत्य हैं। मैंने विश्वविद्यालय की विवरणिका में दिये गये समस्त नियमों को पूर्णरूप से पढ़ लिया है तथा समझ लिया है। मेरा/मेरी अभिभाव्य पूर्ण रूप से उनका पालन करेगा/करेगी।

दिनांक मोबाइल नं. पिता/माता/अभिभावक के हस्ताक्षर

वेब रजिस्ट्रेशन नं.

● कक्षा (जिसमें प्रवेश लेना है).....

● टी.सी. नं.

सम्बन्धित खाने में (✓) करें (आरक्षण का लाभ लेने हेतु प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।)

सामान्य अनुसूचित अन्य पिछड़ा अल्पसंख्यक
वर्ग जाति वर्ग वर्ग

अनुसूचित विकलांग स्वतंत्रता सेनानी
जनजाति आश्रित

कार्यालय प्रयोग हेतु

शुल्क (रुपयों में)

रसीद संख्या बुक संख्या.....

पंजीयन संख्या

दिनांक

शुल्क लिपिक के हस्ताक्षर

पासपोर्ट आकार का
नवीनतम छायाचित्र
चिपकायें

1. प्रवेशार्थी का नाम (हिन्दी में, हाईस्कूल के प्रमाण-पत्र के अनुसार).....
अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में
2. (अ) पिता का नाम : श्री
- (ब) माता का नाम : श्रीमती
3. पूरा पता
4. आधार कार्ड नं.
5. टेलीफोन/मोबाइल नं.
6. संरक्षक का नाम व पूरा पता : श्री
7. संरक्षक से सम्बन्ध मोबाइल नं. ई-मेल
8. जाति एवं उपजाति 9. जन्मतिथि (हाईस्कूल के प्रमाण-पत्र के अनुसार)
10. राष्ट्रीयता मूल प्रान्त
- तहसील जनपद
11. पूर्व विद्यालय का नाम
- जिसमें वर्ष से तक अध्ययन किया।
12. क्या प्रवेशार्थी पहले इस महाविद्यालय का छात्र रह चुका है? (हाँ / नहीं)
यदि हां तो विवरण दें।
13. क्या प्रवेशार्थी को कभी नकल करने अथवा अनुशासनहीनता के आरोप में दण्डित किया गया है? हाँ / नहीं।
14. क्या प्रवेशार्थी कभी परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग में पकड़ा गया है? हाँ / नहीं।
15. शिक्षणेत्तर कार्यों का विवरण जैसे-खेलकूद, एन.सी.सी., एन.एस.एस., रोबर्स रैन्जर्स, साक्षरता आदि।
..... (साक्ष्य संलग्न करें)

दिनांक

हस्ताक्षर प्रवेशार्थी

प्रवेश आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद

आवेदन पत्र संख्या

(समस्त प्रविष्टि प्रवेशार्थी स्वयं भरें)

श्री/कु0/श्रीमती पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री

कक्षा में प्रवेश हेतु कुल संलग्नकों सहित प्राप्त किया।

दिनांक

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

15. चयनित विषय :

बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम.

नई शिक्षा नीति 2020 के लागू होने के आधार पर बी.ए./बी.एस.सी./बी.कॉम. की परीक्षा सेमेस्टर के अनुसार होगी। जिसमें विद्यार्थी की Major व Minor विषय के साथ एक वर्ष में 02 बार (02 सेमेस्टर के रूप) परीक्षा होगी। विषय का चयन महाविद्यालय की प्रवेश समिति के समक्ष समस्त मूल पत्रजातों के साथ उपस्थित होने पर विस्तार से छात्र/छात्रा को बताने के बाद ही अन्तिम रूप दिया जायेगा।

| क्रम सं० | मुख्य (मेजर) विषय | क्रम सं० | चयनित विषय—मुख्य (मेजर) |
|----------|-------------------|----------|-------------------------|
| (1) | | (3) | |
| (2) | | (4) | चयनित विषय— माइनर |

नोट: प्रत्येक प्रवेशार्थी विषय चयन से पूर्व प्रवेश आवेदन विवरणिका में विषय सम्बन्धी नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें।

16. शैक्षिक योग्यता (सत्यापित प्रतिलिपियाँ संलग्न करें)

| क्र. सं. | परीक्षा | विषय | उत्तीर्ण वर्ष | श्रेणी तथा प्रतिशत | संस्थागत/व्यक्तिगत | शिक्षण संस्था का नाम | बोर्ड/विश्वविद्यालय |
|----------|-------------------------|------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| 1. | हाईस्कूल | | | | | | |
| 2. | इण्टर | | | | | | |
| 3. | स्नातक प्रथम सेमेस्टर | | | | | | |
| 4. | स्नातक द्वितीय सेमेस्टर | | | | | | |
| 5. | स्नातक तृतीय सेमेस्टर | | | | | | |
| 6. | अन्य | | | | | | |

प्रवेशार्थी द्वारा घोषणा

17. मैं शपथपूर्वक घोषणा करता / करती हूँ के मेरे द्वारा भरी गई सभी प्रविष्टियाँ पूर्णतः सत्य हैं तथा कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यदि मेरे उपर्युक्त कथन में कोई, त्रुटि या असत्यता पायी जाये तो मेरा प्रवेश निरस्त कर दिया जाये। मैं किसी प्रकार की दलगत राजनीति, गुटबाजी तथा आन्दोलन में भाग नहीं लूँगा/लूँगी तथा महाविद्यालय में शान्ति एवं शैक्षिक वातावरण बनाने में रचनात्मक कार्यों में सक्रिय सहयोग दूँगा/दूँगी। मैं पूर्ण सत्र में सम्बन्धित सभी विषयों में अपनी 75% उपस्थिति पूर्ण करूँगा/करूँगी, अन्यथा परीक्षा से वंचित होने की दशा में मैं स्वयं पूर्णतः उत्तरदायी रहूँगा/रहूँगी। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियों को मैंने स्वप्रमाणित कर दिया है। गलत पाये जाने पर समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी।

हस्ताक्षर पिता / संरक्षकमोबाइल नं.हस्ताक्षर प्रवेशार्थी

पूरा नाम दिनांकपूरा नाम

18. संलग्नकों का विवरण (प्रमाणित छायाप्रतियाँ संलग्न करें) :- सम्बन्धित खाने में करें।

| | | | |
|---|--------------------------|---|--------------------------|
| 1. वेब रजिस्ट्रेशन प्रपत्र | <input type="checkbox"/> | 7. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (मूलप्रति) | <input type="checkbox"/> |
| 2. हाईस्कूल की अंकतालिका | <input type="checkbox"/> | 8. चरित्र प्रमाण-पत्र | <input type="checkbox"/> |
| 3. हाईस्कूल की प्रमाण-पत्र | <input type="checkbox"/> | 9. जाति प्रमाण-पत्र | <input type="checkbox"/> |
| 4. इण्टर की अंकतालिका | <input type="checkbox"/> | 10. अधिभार प्रमाण-पत्र | <input type="checkbox"/> |
| 5. स्नातक प्रथम/द्वितीय/तृतीय वर्ष की अंकतालिका | <input type="checkbox"/> | (एन.सी.सी., एन.एस.एस., खेलकूद आदि) | |
| 6. आधार कार्ड की छायाप्रति | <input type="checkbox"/> | 11. अन्य (विकलांग, स्वतन्त्रता सेनानी आश्रित आदि) | <input type="checkbox"/> |

प्रवेश समिति का निर्णय

निरीक्षण पर आवेदन-पत्र पूर्ण/अपूर्ण पाया।

अस्थाई प्रवेश संस्तुत किया जाता है/ नहीं किया जाता है।

हस्ताक्षर निरीक्षणकर्ता दिनांक

हस्ताक्षर संयोजक दिनांक

प्राचार्य का आदेश

अस्थाई प्रवेश हेतु स्वीकृत/अस्वीकृत